

न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत

न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका या कार्यपालिका के निर्णयों की जांच कर सकती है कि वह विधि के अनुसार हैं या नहीं। अगर वह संविधान के नियमों के अनुसार नहीं हैं तो न्यायपालिका उसे जैद संवैधानिक घोषित कर सकती है। यह अधिकार अंतिम रूप से किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय में निहित होता है।

प्रो. एच. जे. अब्राहम ने न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "यह न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कानून या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इसके प्रयोग को रोक सकती है तथा किसी भी सरकारी अधिकारी के अवैध कार्य को जैद कानूनी घोषित कर सकती है।"

अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न न्यायालय है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल को न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने 1803 में 'मार्बरी बनाम मैडिसन' काद में इसकी स्पष्ट व्याख्या की।